Annexure VI

Common Application Form for the Admission under EWS & Disadvantaged Group Category (RTE Act 2009) For the Session 2015-16 (To be filled in Block Letters)

Photo

Registration Number A. Economically Weaker Section	-
(To be filled by the school) B. Disadvantaged Group (Please Tick whichever is applicable)	
1. Name of the School : (with address)	
2. Class : Pre-School Pre-Primary Class I	
3. Name of the Child :	
4. Religion :	
5. Sex : Male Female	
6. Date of Birth: Day Month Year	
7. Age as on 31.03.2015 :	
9. Father's Name:	
10. Guardian's Name : (If applicable) 11. Profession of Parents : (a) Mother : (b) Father :	
12. Present Residential Address**:	
13. Phone No. of the Parent/Guardian: Mobile:	
Residence	
14. Whether any house is owned by parents in Delhi: Yes/No. If yes, address there of	
15. Total Annual Income of both the parents from all sources:	

(Not I Disadv Special	of of Income for E.W.S. Only ***: Required for Disadvantaged Group Category i.e. Income proof is not required from antaged Group Category. (SC/ST/OBC which do not fall under creamy layer/Child with Needs and suffering from disability as defined in the Persons with Disabilities (Equal tunities, Protection and Full Participation) Act, 1995/ Orphans/transgenders)
17. Ter	digit No./I.D. of Income Certificate:
18. Pro	of of Disadvantaged group **** ;
Declara	ation by the parents
Ι	(Name) Father/Mother of
notifica	(Name of the Child) hereby declare that the information given above is true and to the best of my knowledge and belief. I have read and understood all the provisions of the ation in this regard. In case any information is found false or incorrect on verification, the ion of my ward may be cancelled.
Dated :	Signature of the Parent
Submit	any one of the following documents as proof:
*	 Birth certificate under the Birth, Death and Marriages Certification Act, 1986. Hospital/Auxillary Nurse and Midwife (ANM) register record. Anganwadi Record. Declaration of age of the child by the parent or guardian.
**	 (1) Ration card issued in the name of parents (mother/father having name of the child. (2) Domicile certificate of child or his/her parents. (3) Voter I card of any of the parents. (4) Electricity bill/mtnl telephone bill/water bill. (5) Unique Identity Card of mother/father/child issued by Government of India. (6) Passport in the name of any of the parents or child.
***	 Income certificate issed by a Revenue Officer not below the rank of Tehsildar. BPL Ration card (Yellow Coloured). AAY Ration Card (Pink Coloured). Food Security Card.
***	 A Certificate issued by a Revenue Officer not below the rank of Tehsildar or any other Competent Authority. Caste Certificate issued by DC Office. Medical Certificate from Govt. Hospital, in case of children with special needs/ disabilities. A Certificate issued in accordance with instruction issued by the Department of Women and Child Development, GNCT of Delhi, vide order dated 11.12.12 in case of Orphan Child.

परिशिष्ट – VI

सत्र 2015—16 के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा वंचित समूह श्रेणी (आरटीई अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए एक समान आवेदन पत्र

पंजी	करण				64
(वि	द्यालय द्वारा भरा जाए)				
क.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग		ख. (जे	वंचित समूह लागू हो निशान	लगाईये)
1.	विद्यालय का नाम :(पूरा पते सहित)				
2.	कक्षा : प्री नर्सरी	प्री प्राईमरी .		कक्षा 1	***************************************
3.	बच्चे का नाम :				
4.	धर्म :				
5.	लिंग : पुरुष	***************************************	स्त्री		10 mm
6.	क) जन्म तिथि दिन	माह		वर्ष	
	ख) जन्म तिथि (शब्दों में)				
7.	31.03.2015 को आयु :(शब्दों में)		***************************************	*	
8.	माता का नाम :				
9.	पिता का नाम :				
10.	अभिभावक का नाम :				
	(यदि लागू हो तो)				
11.	अभिभावक का व्यवसाय : (क) माता(ख) पिता				
12.	वर्तमान आवासीय पता ** :		***************************************		
13.	माता—पिता / अभिवावक की फोन संख्या (क) मोबाइल नम्बर				
	(ख) लैंडलाइन नम्बर				
14.	क्या माता—पिता का दिल्ली में कोई मकान है यदि हाँ तो उसका पूरा पता		हाँ /		

15.	माता / पिता दोनों की कुल आय सभी स्रोतों द्वारा :
16.	आय का प्रमाण *** : (वंचित समूह वर्ग ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जोकि क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते/ विशेष आवश्यकता वाले बच्चें/निशक्त बच्चें जैसाकि इससे सम्बधिंत पी.डी. एक्ट, 1995 में परिभाषित है/अनाथ/अलाभित समूह का बालक'' के लिए आय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।)
17.	दस संख्या नं. / आय प्रमाण पत्र की आई.डी. संख्या :
18.	वंचित समूह का प्रमाण *** :
	/ पिता द्वारा घोषणा
	(नाम) पिता / माता का नाम
पूरी उपब	[बच्चे का नाम) इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य एवं सही है। मैंने इस संबंध में अधिसूचना के सारे न्ध पढ़कर समझ लिये हैं। यदि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो मेरे का प्रवेश रदद किया जा सकता है।
दिनां	माता / पिता का नाम
* (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7)	लिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करें: जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र । अस्पताल/सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) रिजस्टर अभिलेख । आंगनबाड़ी अभिलेख । माता—पिता या अभिमावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा पत्र । बच्चे के नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड । बच्चे का या उसके माता—पिता के अधिवास का प्रमाण पत्र । माता—पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान पत्र । विघुत बिल/महानगर टेलिफोन निगम का टेलिफोन संख्या/जल बिल । भारत सरकार द्वारा जारी माता/पिता/बच्चे का विशिष्ट पहचान पत्र । माता—पिता में से किसी एक के नाम या बच्चे का परपत्र ।
(2) (3)	कम से कम तहसीलदार की रैंक के किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र । बीपीएल राशन कार्ड (पीले रंग का) एएवाई राशन कार्ड (गुलाबी रंग का) खाद्य सुरक्षा कार्ड
जारी (2) र (3) र (4) र	कम से कम तहसीलदार की रैंक के किसी राजस्व अधिकारी द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र । उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र । सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि बच्चों का विशेष आवश्यकताओं की जरूरत हो/अपंग है। अनाथ बच्चे की स्थिति में दिनांक 11.12.12 के आदेश के अनुसार महिला एवं बाल कल्याण विभाग, दिल्ली गर द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार प्रमाण पत्र ।